(2·2)

मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय,

क0 एफ0 12—34/09/बी—1/दो भोपाल, दिनांक 06.01.2010

प्रति,

पुलिस महानिदेशक,
मध्य प्रदेश,
पुलिस मुख्यालय, भोपाल।

विषयः— पत्रकारों पर होने वाली ज्यादतियों को रोकने तथा उनके विरूद्ध चल रहे अपराधिक प्रकरणों का उच्च स्तरीय पुनरावलोकन।

संदर्भः— इस विभाग का ज्ञापन कमांक 5811/6079/86/बी—1/दो, दिनांक 24.09.86 एवं परिपत्र कमांक 7353/14114/05/बी—1/दो, दिनांक 27.12.05.

——00——

उपरोक्त विषय में इस विभाग का संदर्भित ज्ञापन कमांक 7353/14114/05/बी—1/दो, दिनांक 27.12.05. को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। साथ ही इस संबंध में इस विभाग के पत्र कमांक 5811/6079/86/बी—1/दो, दिनांक 24.09.86 में दिये गये निर्देशों में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है। कृपया संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः—

1. जहां तक पत्रकारों के विरूद्ध कोई भी प्रकरण कायम किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जाये। परंतु अपराध के पंजीयन के बाद चालान किये जाने के पूर्व प्रकरणों मे उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज द्वारा की जायेगी। समीक्षा में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित पत्रकार/मीडिया के व्यक्ति को दुर्भावनावश या तकनीकी किस्म के प्रकरण स्थापित कर परेशान तो नहीं किया जा रहा है। यदि कोई प्रकरण दुर्भावनावश विवेचना करना पाया जाये तो तत्काल उसमें न्यायालय से खात्मा/खारजी स्वीकृत करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाये तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाये।

2. इस प्रकार की समीक्षा की सुविधा वैसे पत्रकार/मीडिया को प्राप्त होगी जो कि प्रिंट/विजुअल मीडिया संबंधी किसी पंजीबद्ध संस्था के अभिस्वीकृति प्राप्त प्रतिनिधि (accredited press/media correspodent) हो। इस सबंध में प्रमाणित करने के लिए जिला स्तरीय जनसंपर्क अधिकारी अधिकृत होंगे।

——2

3. पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज त्रैमासिक स्तर पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में गत 03 माह में पत्रकारों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर प्रतिवेदन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत) को निम्न पत्रक में भेजेंगे:–

स0क्र0	जिला	पत्रकार का नाम व पता	किस संस्था से संबंधित है एवं उसका पद नाम तथा कार्य की प्रकृति	अपराध क्रमांक व धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण	पुलिस अधीक्षक द्वारा समीक्षात्मक टीप	उप पुलिस महानिरीक्षक का अभिमत	यदि दुर्भावनावश प्रकरण में विवेचना की गयी है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत) त्रैमासिक प्रतिवेदन की समीक्षा कर पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

4. पत्रकारों पर ज्यादती होने की शिकायत प्राप्त होने पर संचालक जनसंपर्क द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जायेगी। इन प्राप्त शिकायतों में पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के पश्चात् की गयी कार्यवाही से संचालक जनसंपर्क को अवगत कराया जाए ।

(अनिल कुमार)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह विभाग

पृ0क्र0 एफ0 12–34/09/बी–1/दो भोपाल, दिनांक 06.01.2010

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6.1.10

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग